[श्री सुरेन्द्र पाल सिंह]

दूसरे उन्होंने पूछा है कि 34500 आदमी ईस्ट पाकिस्तान से इधर हमारी तरफ़ आये हैं वह वहां पाकिस्तान में क्या अपनी सम्पत्ति आदि छोड़ आये हैं, उस की क्या कीमत है तो इस बारे में जानकारी देना मेरे लिये मुश्किल है लेकिन वह उधर कितनी सम्पत्ति छोड़ आये हैं और उस की क्या वैल्यु है वह सब मालूमात इकट्ठी की जा रही है लेकिन अभी वह जानकारी देना मेरे लिये मुमकिन नहीं है ।

तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि इधर उन अल्पसंख्यकों के आने में परमिट्स आदि को लेकर हम बाधा डालते हैं, उन्हें मना करते हैं या रोकते हैं यह सही है कि हम कोशिश यह करते हैं कि वहां के आदमी जहां तक हो सके वहीं पर रहें और वह यहां पर न आयें । जाहिर है कि जब वह रेफ्यूजीज़ बन कर यहां पर आते हैं तो उन्हें बड़ी परेशानी व दिक्कत पैदा होती है । यह तरीका है कि वहां से वह पेपर्स लेकर परमिट वगैरह लेकर चैकपोस्ट के थ्रू आयें । लेकिन जब उन्हें मुश्किल होती है दिक्कत होती है तो वह इधर बगैर पेपर्स के भी आते हैं और आ रहे हैं । इसलिये यह कहना सही नहीं होगा कि हम उनको वापिस कर देते हैं या नहीं आने देते हैं । अब आप को यह बतलाऊं कि 34500 जो इधर आये हैं उन में से 26500 बगैर पेपर्स के हैं इसलिये यह कहना सही नहीं है कि उन्हें हम रोकते हैं । उन की जो कुछ इमदाद हो सकती है वह हम करते हैं ।

चौथा सवाल जो उन्होंने पूछा उस के लिये मुझे कहना है कि हम ने यह मान लिया है कि पाकिस्तान का जो रवैया है वह वैसा ही है जैसे साउथ अफ्रीका की एपारथेड पालिसी है लेकिन रोडेशिया की तरह से इस मामले को उठा कर रैजोलूशंस पास नहीं कराये गये हैं । माननीय सदस्य और हाउस को यह मालूम होगा कि जहां तक इन प्रस्तावों का संबंध है रोडेशिया के खिलाफ़ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ कितने रेजोलूशंस युनाइटेड नेशंस से पास हुए हैं लेकिन उन प्रस्तावों का नतीजा क्या हुआ ? रेजोलूशंस पास करना बड़ा आसान है लेकिन मुख्य चीज़ तो यह देखने की है कि आज तक उन पर हुआ क्या है ? **(व्यवधान)**

SHRI SAMAR GUHA: That is your fault. You have not tried to do anything. You are making a false plea here.

SHRI SURENDRA PAL SINGH: I have already said that it is not our policy to take this issue to the UN or to internationalise this issue. We do believe according to our past experience, that to internationalise an issue like this or to take it to the UN will not serve any useful purpose. We still believe that we can solve it only by bilateral discussion and we are continuing to endeavour towards that end.

As regards the question of grants, etc., it is not really worth-while going to the UN for funds. We are looking after the refugees and are doing everything possible to resettle and rehabilitate them.

MR. SPEAKER: Shri Kothari—absent. Shri Bharat Singh Chauhan—absent. Then, we pass on to the next item.

12.36 Hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER ESSENTIAL COMMODITIES ACT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. G.S.R. 644 (Hindi and English versions) published in Gazette of India, dated the 13th April, 1970 making certain amendments to Notification No. G.S.R. 1000, dated the 19th April, 1969, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in Library. See* No. LT-3426/70.]